रेफरेंस / एलआर / 7672 / 2001 / जयपुर

सरकार बनाम प्रभूनारायण

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
3.5.2019	**एकल–पीठ** श्री सुनील कुमार शर्मा, सदस्य **उपस्थिति :** श्री लोकेन्द्र राणावत, राजकीय अभिभाषक, प्रार्थी श्री रवि कुमार शर्मा, श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा, श्री सुमित जैन, रेखा गोयल, श्री पुष्पेन्द्र चौधरी, श्री विकास पारासर, श्री जयपाल चावला अभिभाषकगण – अप्रार्थीगण श्री अशोक अग्रवाल – अप्रार्थी संख्या 10 **निर्णय** रेफरेन्स के संक्षित तथ्यानुसार तहसील जयपुर के ग्राम मीनावाला के खसरा नम्बर – 37 (10.04), 42(13.01), 34 / 480 (1.10), 115 (7.15), कुल किता 4 कुला रकबा 32.10 बीघा भूमि भगवाना पुत्र दुला, रामचन्द्र पुत्र श्योबक्श, लादू पुत्र गणेश, चन्दा पुत्र लक्ष्मण, भौरया पुत्र चन्दा की सह–खातेदारी की भूमि थी। उपरोक्त वर्णित भूमिधारक ने उपरोक्त वर्णित भूमि का विक्रय जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 12.09.1961 को प्रभूनारायण बागडा को कर दिया। विक्रय पत्र के आधार पर ग्राम पंचायत मीनावाला ने इन्तकाल संख्या – 14 दिनांक 21.08.1963 को क्रेता प्रभूनारायण के हक से स्वीकृत कर दिया। क्रेता प्रभूनारायण ने क्रय की गयी भूमि का विक्रय जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 04.12.1961 कृष्ण गोपाल रूंगटा पुत्र महावीर रूंगटा को कर दिया। विक्रय पत्र के आधार पर ग्राम पंचायत मीनावाला ने इन्तकाल संख्या – 15 दिनांक 21.08.1963 को क्रेता के नाम से स्वीकृत कर दिया। राज्य सरकार ने अन्य भूमि के साथ उपरोक्त वर्णित भूमि में से खसरा नम्बर – 115 रकबा 7.15 बीघा का अधिग्रहण राजस्थान स्टेट इन्डस्ट्रीयल एण्ड मिनरल डवलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	हेतु आदेश – एफ–5(1) उद्योग/73 दिनांक 19.04.1974 के द्वारा अधिग्रहण कर लिया। अधिग्रहण की पालना में इन्तकाल दिनांक 30.09.1977 राजस्थान स्टेट इन्डस्ट्रीयल एण्ड मिनरल डवलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड के नाम से स्वीकृत कर दिया गया। राज्य सरकार द्वारा जांच आयोग अधिनियम 1952 के तहत कृषि भूमियों की जांच हेतु बेरी आयोग का गठन किया गया। बेरी आयोग के अध्यक्ष माननीय बी. पी. बेरी ने इस प्रकरण में अंकित भूमि एवं हस्तान्तरण के संबंध में जांच कर अपना प्रतिवेदन राज्य सरकार को प्रषित किया। बेरी आयोग की अनुशंषा के आधार पर विद्वान जिला कलक्टर, जयपुर ने रेफरेन्स अन्तर्गत धारा – 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, शीर्षक सरकार जरिये कलक्टर राजस्व जयपुर बनाम प्रभूनारायण बागडा आदि प्रारम्भ किया। क्षेत्राधिकार परिवर्तन होने पर यह रेफरेन्स प्रकरण विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) जयपुर को प्रेषित किया गया। विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) जयपुर ने रेफरेन्स प्रार्थना पत्र संख्या (41/1995) 4/2001 दर्ज कर अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ की। विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) जयपुर ने अपनी अनुशंषा दिनांक 05.10.2001 के द्वारा प्रकरण राजस्व मण्डल को इस आशय के साथ प्रस्तुत किया गया कि कुल किता 4 कुल भूमि 32.10 बीघा अनुसूचित जन जाति के लोगों के नाम से दर्ज थी, जिसका हस्तान्तरण जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र अनुसूचित जन जाति के अलावा व्यक्तियों को किया गया है। जिसके आधार पर इन्तकाल संख्या – 14 व 15 दिनांक 21.08. 1963 को स्वीकृत किये गये हैं। इसलिये यह हस्तान्तरण धारा – 42 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान के विपरित होने के कारण इन्तकाल संख्या – 14 व 15 दिनांक 21.08.1963 निरस्त किये जावे। रेफरेन्स प्रार्थना पत्र माननीय राजस्व मण्डल के समक्ष रेफरेन्स संख्या – 7672/2001/एल.	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	आर. शीर्षक सरकार बनाम प्रभूनारायण प्रारम्भ किया। रेफरेन्स प्रार्थना पत्र के जैरकार रहते एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश – 1 नियम – 10 सी.पी.सी. अप्रार्थी संख्या – 9 सुधीर खेतान पुत्र सत्यनारायण खेतान के द्वारा दिनांक 09.10.2013 को इस आशय का प्रस्तुत किया कि रेफरेन्स में अंकित भूमि में से खसरा नम्बर – 115 रकबा 7.15 बीघा भूमि राज्य सरकार के उपक्रम रिको में निहित थी। रिको विभाग ने विवादग्रस्त भूमि की लीजडीड उसके पक्ष में निष्पादित कर दी है। इसलिये उसे रेफरेन्स प्रकरण में पक्षकार बनाया जावें। राजस्व मण्डल की विद्वान एकलपीठ ने अपने निर्णय दिनांक 31.03.2014 के द्वारा प्रार्थी सुधीर खेतान को रफरेन्स प्रकरण में अप्रार्थी संख्या – 9 बना लिया। तत्पश्चात् रेफरेन्स के अप्रार्थी संख्या – 9 सुधीर खेतान द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा – 151 सी.पी.सी. दिनांक 20.10.2014 को इस आशय का प्रस्तुत किया कि खसरा नम्बर – 115 रकबा 7.15 बीघा भूमि राज्य सरकार द्वारा राज्य सरकार के उपक्रम रिको के लिये वर्ष 1974 में अधिग्रहित कर ली गयी थी, जिसके आधार पर इन्तकाल संख्या – 77 दिनांक 30.09.1977 को रिको के नाम से स्वीकृत हो गया। चूंकि यह भूमि अधिग्रहित की जा चुकी है, इसलिये इस भूमि पर धारा – 42 – बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते हैं तथा ना ही यह भूमि हस्तान्तरण की परिभाषा में आती है तथा ना ही यह भूमि रेफरेन्स प्रकरण की कोई विषय वस्तु हो सकती है। इसलिये खसरा नम्बर 115 रकबा 7.15 बीघा भूमि को रेफरेन्स प्रकरण से अलग कर दिया जावें। विद्वान एकलपीठ सदस्य श्री बी. एल. नवल ने अपने निर्णय दिनांक 15.01.2015 के द्वारा रेफरेन्स प्रकरण के अप्रार्थी संख्या – 9 सुधीर खेतान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा – 151 सी.पी.सी. को स्वीकार कर खसरा नम्बर – 115 रकबा 7.15 बीघा भूमि को रेफरेन्स प्रकरण से अलग कर, उस	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	हद तक रेफरेन्स प्रकरण ड्रॉप कर दिया। विद्वान एकलपीठ सदस्य श्री बी. एल. नवल के निर्णय दिनांक 15.01.2015 के विरूद्ध एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा – 151 सी.पी.सी. हेमराज मीणा के द्वारा दिनांक 16.02.2015 को इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि विद्वान एकलपीठ ने अपना निर्णय दिनांक 15.01.2015 बिना सुनवाई के पारित किया है, इसलिये प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर खसरा नम्बर – 115 रकबा 7.15 बीघा भूमि के मुआवजे के संबंध में आदेश पारित किया जावें। प्रार्थी हेमराज ने इस प्रार्थना पत्र को दिनांक 26. 05.2016 को विड्रॉ कर लिया। तत्पश्चात् हेमराज ने एक नजरसानी प्रार्थना पत्र संख्या – 3895 / 16 एल.आर. जयपुर, शीर्षक सरकार बनाम प्रभूनारायण अन्तर्गत धारा 86 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम दिनांक 26.05.2016 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विद्वान एकलपीठ सदस्य द्वारा पारित निर्णय दिनंक 15.01.2015 को निरस्त किया जावे। प्रार्थना पत्र के जेरकार रहते नजरसानीकर्ता हेमराज ने एक प्रार्थना पत्र दिनांक 16.12.2016 को प्रस्तुत कर नजरसानी प्रार्थना पत्र को विड्रॉ करने का निवेदन किया। इस प्रार्थना पत्र पर विद्वान एकलपीठ सदस्य श्री द्वारकालाल मीणा ने दिनांक 23.02.2017 को सुनवाई कर अपने निर्णय दिनांक 20.03.2017 द्वारा नजरसानीकर्ता हेमराज के विड्रॉ करने का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया तथा राज्य सरकार को नजरसानीकर्ता के स्थान पर स्थापित कर दिया। तत्पश्चात, माननीय सदस्य श्री विजय कुमार सोनी द्वारा नजरसानी प्रार्थना पत्र अपने निर्णय दिनांक 21.07.2017 के द्वारा खारिज फरमा दिया गया। उक्त निर्णय दिनांक 21.07.2017 के खिलाफ अप्रार्थीगण छितरमल मीणा वगैरह ने एक सिविल रिट पिटिशन संख्या 1866 / 2017 उनवानी ''छितरमल वगैरह बनाम राजस्थान सरकार'' माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में पेश की है जो अभी	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	विचाराधीन है एवं जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने रेस्पोडेन्टस् को नोटिस जारी किये है। अप्रार्थीगण के अभिभाषक श्री एस. के. शर्मा ने उक्त सिविल रिट पिटिशन की प्रति, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के साथ पेश कर निवेदन किया कि जब तक उक्त सिविल रिट पिटिशन का फैसला नहीं हो जाता तब तक मौजूदा रेफरेन्स की कार्यवाही को स्थगित किया जावे। न्यायहित में सिविल रिट पिटिशन संख्या 1866/2017 उनवानी ''छितरमल वगैरह बनाम राजस्थान सरकार'' की प्रति को रेकार्ड पर लिया जाता है, परन्तु जहां तक उक्त सिविल रिट पिटिशन के अन्तिम फैसले तक, मौजूदा रेफरेन्स में कार्यवाही स्थगित करने की प्रार्थना है उससे हम सहमत नहीं है क्योकि रेफरेन्स सन् 2001 से विचाराधीन है एवं उक्त सिविल रिट पिटिशन में माननीय उच्च न्यायालय ने कोई स्थगन आदेश पारित नहीं किया है। इसके अलावा सिविल रिट पिटिशन के विचाराधीन रहते हुये मौजूदा रेफरेन्स को गुणावगुण पर फैसल करने पर कोई विपरित प्रभाव नहीं पडता है एवं रेफरेन्स की कार्यवाही को स्थगित करने का कोई औचित्य नहीं है। अभिभाषक श्री रवि कुमार शर्मा ने बहस समाप्ति के पश्चात् पुनः दस्तावेज पेश करने हेतु एक ओर अवसर चाहा एवं दिनांक 02.05.2019 को वकील श्री जयपाल चांवला ने कजोड पुत्र रामकुमार की ओर से नया वकालातनामा पेश किया। यहां यह उल्लेखनीय है कि इसी पक्षकार की ओर से पूर्व में अभिभाषक श्री रवि कुमार शर्मा बहस कर चुके है। अभिभाषक श्री जयपाल चांवला ने एक प्रार्थना पत्र वास्ते मुकदमा रिलीज करने हेतु पेश किया। इसके विरोध में श्री अशोक अग्रवाल ने विरोध करते हुये न्यायालय को बताया कि मौजूदा मुकदमें में कुछ पक्षकारान ने अपनी आदत बना रखी है कि बहस समाप्ति के पश्चात् केवल मात्र तारीख तब्दील हेतु इस तरह के प्रार्थना पत्र पेश करते है जोकि मौजूदा पत्रावली	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	की पिछली आर्डरशीट से साबित है और इसी मेलाफाईडी इन्टेन्शन से आज पुनः कजोड पुत्र रामकुमार की ओर से नया वकालातनामा पेश किया गया है एवं इनका एक ही मक्सद है कि प्रकरण का गुणावगुण पर निस्तारण न हो। इसके लिये ऐन–केन–प्रकारेण किसी भी बहाने से बार–बार तारीख तब्दील हेतु, दस्तावेज पेश करने हेतु समय चाहते है या फिर केस को रिलीज कराने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते है। यदि इस बार भी मुकदमें का फैसला गुणावगुण पर नहीं किया गया तो न्याय का हनन होगा एवं पक्षकारों का न्यायालय एवं न्यायिक प्रक्रिया से विश्वास उठ जायेगा। उक्त प्रकरण वर्ष 2001 से लम्बे समय से न्यायालय में लम्बित है। हम विद्वान अभिभाषक श्री अशोक अग्रवाल के कथनों से सहमत है एवं न्यायहित में प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर करना उचित समझते है। उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी। राजकीय अभिभाषक की मुख्य बहस यह है कि प्रश्नगत आराजी के मूल खातेदार भगवाना पुत्र दुला, रामचन्द्र पुत्र श्योबक्स, लादूराम पुत्र गणेश, चन्दा पुत्र लक्ष्मण, भौरिया पुत्र चन्दा जाति मीना अनुसूचित जन जाति के व्यक्ति रहे हैं जिनके द्वारा आराजी को गैर अनुसूचित जन जाति के व्यक्ति के पक्ष में अंतरण किया है और इस प्रकार से अधिनियम की धारा 42 के उल्लघंन में किये गये हस्तान्तरण शून्य व प्रभावहीन है। रेफरेन्स प्रार्थना पत्र संख्या (41 / 1995) 4 / 2001 विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर जयपुर द्वारा धारा – 42 – बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की अवहेलना के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। इन्तकाल संख्या – 14 व 15 दिनांक 21.08.1963 धारा – 42 – राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की अवहेलना में स्वीकृत किये गये हैं, जो प्रारम्भ से ही शुन्य तथा अवैध है एवं निवेदन किया कि रेफरेन्स स्वीकार कर प्रश्नगत	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	आराजी को राजकीय आराजी घोषित किया जावें। अप्रार्थीगण के अभिभाषकगण ने राजकीय अभिभाषक की बहस का समर्थन करते हुये निवेदन किया कि प्रश्नगत आराजी को अनुसूचित जन जाति के खातेदारान द्वारा गैर अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियों के पक्ष में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से विक्रय किया है और इसके आधार पर ही नामान्तरकरण संख्या 14 व 15 दिनांक 21.08.1963 को अस्तित्व में आये है। अतः नामान्तरकरण संख्या 14 व 15 दिनांक 21.08.1963 निरस्त फरमाये जावें एवं इनके आधार पर किये गये खातेदारी अंकन व पश्चातवर्ती अंकन राजस्व रेकार्ड से डिलीट किये जावें। अप्रार्थी संख्या 10 के अभिभाषक श्री अशोक अग्रवाल ने अपनी बहस प्रस्तुत करते हुये निवेदन किया कि **मौजूदा रेफरेन्स करीब 34 वर्ष बाद प्रस्तुत किया गया है जो अत्यधिक विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने से चलने योग्य नहीं है** क्योंकि असाधारण विलम्ब के पश्चात ऐसी कोई कार्यवाही ट्रवेस्टी ऑफ जस्टिस (न्याय का उपहास) की परिभाषा में आती है। मौजूदा प्रकरण में न्यायालय सहायक कलक्टर, संख्या 3 जयपुर के द्वारा प्रश्नगत आराजी के बाबत **वादपत्र अन्तर्गत धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम भी अपने आदेश दिनांक 28.03.1978 के द्वारा खारिज किया गया** है एवं यह निर्णय अंतिम हो चुका है एवं ऐसी स्थिति में मौजूदा रेफरेन्स खारिज योग्य है। विद्वान अभिभाषक ने अपने कथनों के समर्थन में आर.आर.डी. 1995 पृष्ठ 102, आर.आर.टी. 2014 (2) पेज 1379, (सुप्रीम कोर्ट) आर.आर.टी. 2017 (2) पेज 1136 (राजस्थान उच्च न्यायालय) के दृष्टान्त प्रस्तुत कर निवेदन किया कि माननीय उच्चत्तम न्यायालय, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एवं माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर ने **उक्त वर्णित दृष्टान्तों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि धारा 42 (बी) राजस्थान**	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	काश्तकारी अधिनियम के उल्लंघन में किये गये हस्तान्तरण वॉइड होते हुये भी यदि धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की समय सीमा समाप्त हो चुकी है तो रेफरेन्स मियाद से बाधित है एवं अत्यधिक विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने से खारिज किये जाने योग्य है। उक्त न्यायिक दृष्टान्तों के तथ्य वर्तमान प्रकरण के समान ही है एवं वर्तमान प्रकरण में तो धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत वाद खारिज भी हो चुका है तथा रेफरेन्स करीब 34 वर्ष से अधिक देरी से प्रस्तुत किया गया है जो चलने योग्य नहीं है। उनका यह भी तर्क है कि जब प्रश्नगत आराजी के बाबत वादपत्र अन्तर्गत धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम खारिज हो चुका है तो अब राज्य सरकार के लिये यह सम्भव नहीं है कि वो इस भूमि को सरकारी सम्पत्ति घोषित करा सकें। जिस व्यक्ति ने इस भूमि का दाम प्राप्त कर इसे बेचा है उसको यह भूमि वापस दी जावे ऐसा न्याय सिद्धान्त के विरूद्ध है और इस प्रकार की मंशा न कानून की है और न राज्य सरकार की नीति की है। इसलिये मौजूदा प्रकरण में नामान्तरकरण निरस्त किया जाना किसी प्रकार से उपयोगी नहीं होगा। खरीददारान को प्रश्नगत भूमि में खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है इसलिये अब 34 वर्ष बाद उनको इन अधिकारों से वंचित करना भी न्यायोचित नहीं होगा। उनका यह भी कथन है कि अनूसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के व्यक्ति द्वारा स्वर्ण जाति के व्यक्ति को बैचान यदि 1.5.1964 से पूर्व में किया गया है तो ऐसा बैचान एवं "Agreement to Sale" void-ab-initio नहीं है। इसके समर्थन में उन्होंने निम्न न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किया :– **RBJ 2007 (14) page 696** **"Rajasthan Tenancy Act, 1955 –** Section 42 – Restriction against the sale of land belonging to Scheduled Caste and Scheduled Tribe person to Non-Scheduled Caste of Non-Scheduled Tribe is effective w.e.f. 1.5.1964. The	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	restriction on sale of land belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes to Non-Scheduled Castes and Scheduled Tribes in not applicable on the sale prior to 1.5.1964. As the Section was amended is 1964 and restriction was imposed w.ef. 1.5.1964." अतः निवेदन है कि रेफरेन्स खारिज फरमाया जावें। **अभिभाषक एस. के. शर्मा ने उक्त बहस का खण्डन करते हुये रिबटल में कथन किया** कि यदि अनुसूचित जन जाति के व्यक्ति द्वारा गैर अनुसूचित जन जाति के व्यक्ति के हक में कृषि भूमि का बैचान किया है तो खरीददार को खरीद की गई भूमि में किसी भी प्रकार से खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है। अतः विवादित नामान्तरकरण मौजूदा कानूनी प्रावधानों के विपरित होने से निरस्तनीय है। विद्वान अधिवक्ता श्री एस.के.शर्मा ने राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 82 (1) एवं 82 (6) का हवाला देते हुये कहा कि ऐसे प्रकरण में रेफरेन्स किया जाना नियमानुसार एवं सही है। हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि का विक्रय अनुसूचित जन जाति के खातेदारान द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र 22.09.1961 को गैर अनुसूचित जन जाति के व्यक्ति प्रभूनारायण पुत्र गणेशलाल के हक में किया गया। विक्रय पत्र के आधार पर ग्राम पंचायत मीनावाला ने इन्तकाल संख्या 14 दिनांक 21.08.1963 को क्रेता प्रभूनारायण के हक में स्वीकृत कर दिया। क्रेता प्रभूनारायण ने क्रय की गयी भूमि का विक्रय जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 04.12.1961 कृष्णगोपाल रूंगटा के हक में कर दिया एवं उक्त विक्रय पत्र के आधार पर ग्राम पंचायत मीनावाला ने इन्तकाल संख्या 15 दिनांक 21.08.1963 को क्रेता के नाम स्वीकृत कर दिया।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	मौजूदा रेफरेन्स उक्त वर्णित इन्तकाल संख्या 14 व 15 दिनांक 21.08.1963 को निरस्त किये जाने बाबत प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण के साथ प्रस्तुत उपखण्ड अधिकारी, जयपुर की पत्रावली संख्या 120/1977 के अवलोकन से पाया जाता है कि प्रश्नगत आराजी के सम्बन्ध में अधिनियम की धारा 42 के प्रावधानों के उल्लंघन में किये गये विक्रय पत्र व नामान्तरकरण संख्या 14 को आधार बनाते हुये तहसीलदार, जयपुर द्वारा धारा 175 अधिनियम, 1955 के तहत प्रकरण में निहित आराजी के बाबत सहायक कलक्टर, संख्या 3 जयपुर के न्यायालय में प्रस्तुत किया था। यह प्रकरण संख्या 120/1977 उनवानी राज्य सरकार बनाम प्रभूनारायण दर्ज होकर प्रकरण गुणावगुण पर सुना गया एवं इसमें निर्णय दिनांक 28.03.1978 से वादपत्र को **धारा 175 की कार्यवाही करने हेतु अन्दर मियाद प्रस्तुत नहीं होना मानते हुये खारिज किया गया। राज्य सरकार द्वारा इस आदेश के विरूद्ध कोई कार्यवाही की गई हो, ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है, इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि आदेश दिनांक 28.3.1978 अंतिम हो चुका है। रेफरेन्स प्रश्नगत विक्रय पत्रों के निष्पादन के करीब 34 वर्ष बाद, असाधारण विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है**, अतः विचारानीय बिन्दू यह है कि इतने असाधारण विलम्ब से प्रस्तुत किया गया रेफरेन्स इन परिस्थितियों में जबकि प्रश्नगत भूमि के सम्बन्ध में प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम भी सक्षम न्यायालय द्वारा खारिज हो चुका है, तो चलने योग्य है या नहीं ? इस सम्बन्ध में जब हम विद्वान अभिभाषकगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों, आर.आर. डी. 1995 पृष्ठ 102, आर.आर.टी. 2014 (2) पेज 1379, (सुप्रीम कोर्ट) आर.आर.टी. 2017 (2) पेज 1136 (राजस्थान उच्च न्यायालय) में प्रतिपादित सिद्धान्तों का अध्ययन करते है तो	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पाते है कि धारा 42 (बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के उल्लंघन में किये गये हस्तान्तरण वॉइड होते हुये भी यदि धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की समय सीमा समाप्त हो चुकी है तो रेफरेन्स मियाद से बाधित है एवं अत्यधिक विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने से खारिज किये जाने योग्य है। उक्त वर्णित न्यायिक दृष्टान्तों में प्रतिपादित सिद्धान्त इस प्रकार हैः— 1995 आरआरडी पेज 102 में प्रतिपादित सिद्धान्त निम्न प्रकार है :— **(b) <u>Transfer of land in violation of section 42 alleged but no proceedings u/s 175 initiated for over 34 years during which time limitation expired. Reference for cancellation of mutation rejected since such cancellation will serve no purpose except recording the land in the name of the vendor which is not envisaged by Section 175.</u>** इस फैसले के पेरा नं. 5 पर माननीय राजस्व मण्डल जो फाईडिंग दी है वह इस प्रकार है :— ''राज्य सरकार के लिये धारा 175 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत करने की जो भी समयावधि अधिक से अधिक रही होगी वो बीत चुकी है। इस प्रकार से विक्रेतागण द्वारा किसी वाद को प्रस्तुत किये जाने की भी समयावधि बीत चुकी है। इसलिये अब राज्य सरकार के लिये यह सम्भव नहीं है कि वो इस भूमि को सरकारी सम्पत्ति घोषित करा सकें। जिस व्यक्ति ने इस भूमि का दाम प्राप्त कर इसे बचा है उसको यह भूमि वापस दी जावे ऐसा न्याय सिद्धान्त के विरूद्ध है और इस प्रकार की मंशा न कानून की है और न राज्य सरकार की नीति की है। इसलिये मैं यह मानता हूँ कि इस प्रकरण में धारा 82 के	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अन्तर्गत नामान्तरकरण निरस्त किया जाना किसी भी प्रकार से उपयोगी नहीं होगा। विपक्षी सं. 3 को इस भूमि में खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है। इसलिये अब 34 वर्ष बाद उसको इन अधिकारों से वंचित करना भी न्यायोचित नहीं होगा। इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए मैं यह मानता हूँ कि नामान्तरकरण निरस्त किया जाना उचित नहीं है। रेफरेन्स खारिज किया जाता है।'' **RRT 2014(2) page 1379 "Ramkaran (Dead) through LRs and Ors. Vs State of Rajasthan" (Supreme Court)** **In this case sale deed in violation of section 42- B Rajasthan Tenancy Act was executed on 12.01.1962 & mutation was attested on 10.09.1963. Tehsildar filed an application for ejectment after 31 years of sale. Refernece filed under section 82 Rajasthan Land Revenue Act, during the pendency of the proceedings under section 175 of the Act for the cancellation of the mutation dated 10.09.1963. Reference was accepted by Board of Revenue vide its judgment dated 26.06.1995. Special appeal against the above stated judgment was rejected by Division Bench of Board of Revenue on 16.11.1995. S. B. Civil Writ Petition against the above stated judgment dated 26.06.1995 and 16.11.1995 was rejected by Hon'ble Rajasthan High Court vide its order dated 23.05.2002 and D. B. Special appeal was also rejected by Division Bench of Rajasthan High Court vide its order dated 02.02.2012. Hon'ble Supereme Court, relying upon is earlier judgments "Nathuram Vs State of Rajasthan", (2004) 13 SCC 585 and State of Punjab Vs Bhatinda District Cooperative Milk Producers Union Ltd., (2007) 11 SCC 363,**	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	accepted the appeal against the judgment and order dated 02.02.2012 passed by division bench of Rajasthan High Court and rejected the reference with the following observation:- **"Therefore, it is clear that the proceeding for restoration of land initiated by the tehsildar, viratnagar was barred by limitation and was not maintainable. We, accordingly, set aside the impugned judgment dated 02.02.2012 passed by the Division Bench of the Rajasthan High Court as well as judgment and order dated 23.05.2002. Passed by the single judge.** **"Relying upon the fiding given by the Hon'ble Supreme Court in the above stated case Rajasthan High Court in a case titled as 'Jor Singh Vs State of Rajasthan' reported in RRT 2017(2) page 1136 has held that no reference can be made after unreasonable delay."** **"Rajasthan Land Revenue Act, 1956 – Section 82 – Rajasthan Tenancy Act, 1955 – Sec. 232 & 175 – Reference – Reference allowed & cancelled the mutation. Proceedings initiated on the ground that the transfer of the land made by 'B' person of Scheduled caste was hit by Sec. 42 – Proceedings terminated being barred by limitation – 'B' surrendered his share in the year, 1957. Mutation entered in the year 1957. Transaction took place before amendment in sec. 214. Limitation was 12 years. Held, Reference was barred by limitation & order set aside".** उक्त न्यायिक दृष्टान्तों के तथ्य वर्तमान प्रकरण के समान ही है एवं **वर्तमान प्रकरण में तो धारा 175 राजस्थान**	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत वाद खारिज भी हो चुका है तथा रेफरेन्स करीब 34 वर्ष से अधिक देरी से (Extra ordinary delay) प्रस्तुत किया गया है जो चलने योग्य नहीं है। हम विद्वान अभिभाषक द्वारा की गई बहस से भी सहमत है कि जब प्रश्नगत आराजी के बाबत वादपत्र अन्तर्गत धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम खारिज हो चुका है तो अब राज्य सरकार के लिये यह सम्भव नहीं है कि वो इस भूमि को सरकारी सम्पत्ति घोषित करा सकें एवं जिस व्यक्ति ने इस भूमि का दाम (प्रतिफल) प्राप्त कर इसे बेचा है उसको यह भूमि वापस दी जावे ऐसा न्याय सिद्धान्त के विरूद्ध है और इस प्रकार की मंशा न कानून की है और न राज्य सरकार की नीति की है। इसलिये मौजूदा प्रकरण में नामान्तरकरण निरस्त किया जाना किसी प्रकार से उपयोगी नहीं है। उक्त रेफरेन्स की गई भूमि को प्रथम रजिस्टर्ड बेचान के पश्चात दो अन्य रजिस्टर्ड बेचान और हो चुके हैं। धारा 175 आर.टी.एक्ट के अन्तर्गत दावा खारिज हो चुका है। अतः सरकार को उक्त भूमि पर अधिकार नहीं मिल सकते। दो प्राईवेट पार्टीयों के मध्य धारा 42 आर.टी.एक्ट के अन्तर्गत बेचान को लेकर के विवाद है जिसमें बेचानकर्ता ने स्वेच्छा से उक्त विवादित भूमि हेतु प्रतिफल (दाम) प्राप्त कर रजिस्टर्ड बेचान किया गया है। अतः 34 वर्ष बाद किये गये रेफरेन्स के आधार पर बेचानकर्ता को भूमि वापिस नहीं की जा सकती। खरीददारान को प्रश्नगत भूमि में खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है इसलिये अब 34 वर्ष बाद उनको इन अधिकारों से वंचित करना भी न्यायोचित नहीं है। अधिवक्ताओं द्वारा की गई बहस प्रस्तुत दृष्टांतों एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के अध्ययन के आधार पर इन परिस्थितियों के देखते हुये उक्त रेफरेन्स में उल्लेखित नामान्तरकरण निरस्त किया जाना उचित नहीं है। राजस्व मण्डल की एकल पीठ द्वारा पूर्व में दिनांक 15–1–2015 के	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	निर्णय में खसरा नंबर 115 के रकबा 7 बीघा 15 बिस्वा को छोडकर शेष आराजी बाबत जिला कलक्टर, जयपुर द्वारा प्रेषित रेफरेन्स खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सुनाया गया। (सुनील कुमार शर्मा) सदस्य	